



FIROZABAD POLICE

★ सुरक्षा आपकी ★
★ संकल्प हमारा ★



प्रेस नोट कुर्की थाना मक्खनपुर दिनांक 05.08.2026 जनपद फिरोजाबाद ।

श्रीमान जिलाधिकारी फिरोजाबाद महोदय व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में थाना मक्खनपुर पुलिस टीम द्वारा गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त रजनेश (परीक्षा सोल्वर गैंग) की कुल मूल्य 50 लाख 78 हजार 05 सौ 52 रुपये (50,78,552/ रुपये) की अवैध अचल सम्पत्ती को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

■ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे के निर्देशन में आदतन अपराधियों पर लगातार की जा रही है धारा 14(1) के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही.....

■ अभियुक्त रजनेश द्वारा लगातार अपराध कारित (परीक्षा सोल्वर गैंग) कर अवैध चल/अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी है ।

❖ जनपद के गैंगस्टर अभियुक्त रजनेश पुत्र सुरेश निवासी जाफराबाद थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बिठाकर अवैध तरीके से अर्जित की गयी थी जिसकी कुल कीमत 50 लाख 78 हजार 552 रुपये (मकान , प्लॉट) की अचल संपत्ति की गई कुर्क ।

❖ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांगहे द्वारा गैंगस्टर एक्ट के तहत आदतन एवं संगठित होकर गम्भीर अपराधों को अंजाम देने वाले गैंगस्टर अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निकट पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी शिकोहाबाद के कुशल नेतृत्व में संयुक्त टीम थाना मक्खनपुर पुलिस टीम मय राजस्व टीम द्वारा मु0अ0सं0 268/25 धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित अभियुक्त रजनेश पुत्र सुरेश निवासी जाफराबाद थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में सॉल्वर बिठाकर अवैध तरीके से अर्जित की गयी थी जिसकी कुल कीमत 50 लाख 78 हजार 552 रुपये (मकान , प्लॉट)को अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में आज दिनांक 05.08.2026 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

01- रजनेश पुत्र सुरेश निवासी जाफराबाद थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गिरजेश-

- ◆ 1.मु0अ0सं0 85/24 धारा 420/467/468/471/34/201 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट थाना शिकोहाबाद।
- ◆ 2.मु0अ0सं0 268/2025 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद ।
- ◆ 4. मु0अ0सं0 17/2020 धारा 420/120बी भादवि थाना शाहगंज कमिश्नरेट आगरा नगर ।

अभियुक्त रजनेश की कुर्क की गयी अचल सम्पत्ती का विवरण:-

क्र0सं0	सम्पत्ती स्वामी का नाम	सम्पत्ती का प्रकार	मूल्यांकन (रु0 में)
1	रजनेश पुत्र सुरेश निवासी जाफराबाद थाना मक्खनपुर जनपद फिरोजाबाद	कुल--50 लाख 78 हजार 552 रुपये (मकान , प्लाट)	50,78,552/- रुपए
कुल कुर्क की गयी सम्पत्ती का मूल्य रुपयों मे:----			50,78,552 रुपये/-